हिंदी की संवैधानिक एवं वैधानिक स्थिति

दौलत राम
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की

राजभाषा हिंदी संबंध में भारतीय संविधान की धारा 343 से 351 तक निर्देश दिये गये हैं।

संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया, जिसमें 1967 में संशोधन किया गया।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राजभाषा नियम 1976 बनाये।

इस प्रकार हिंदी के संबंध में संवैधानिक, प्रावधान, राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशाधित 1967) तथा राजभाषा नियम 1976 आज की तिथि में लागू हैं। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है:–

भारतीय संविधान में हिंदी के संबंध में उल्लिखित प्रावधान
संध की भाषा :

धारा 343 (1):
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि संविधान में हिंदी के लिए राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है न कि राष्ट्रभाषा शब्द का । इसी धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों (१,२,३) का अन्तर्राष्ट्रीय रूप (1,2,3,) होगा।

धारा 343(2):
इस धारा में यह प्रावधान है कि 26 जनवरी, 1965 तक संघ सरकार के कार्यो के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा तथापि राष्ट्रपति किन्हीं सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का भी प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं।

धारा 343(3)
इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि संसद 26 जून, 1965 के पश्चात अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को जारी रखने या समाप्त करने के संबंध में नियम बना सकती है।

उपर्युक्त के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(1) के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 26 जनवरी, 1965 के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उन कार्यों के लिए जारी रहेगा जिन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पूर्व में किया जाता रहा है।

धारा 344(1)
इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तथा फिर 10 वर्षों के बाद राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का गठन करेंगे। आयोग में एक अध्यक्ष तथा आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा।

धारा 344(2)

उपर्युक्त आयोग हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, अंकों के रूप तथा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा एवं संघ की राजभाषा तथा संघ और राज्य या राज्य और राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगाा।

इसी प्रकार एक समिति गठित की जायेगी जिसमें 30 सदस्य होंगे। (20 लोकसभा से तथा 10 राज्य सभा से) यह समिति आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेगी और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय देगी।

समिति के प्रतवेदन पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति उस पर अपने निर्देश दे सकेंगे।

उक्त प्रावधानों 344 (1 व 2) के अनुसार 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए 1957 में संसदीय समिति का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष पं0 गोविन्द बल्लभ पंत थे। आयोग तथा समिति दोनों ने यह राय दी कि 1965 के बाद भी संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए। इस आधार पर राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग गठित करने, मैनुअल तथा कार्य विधि साहित्य के अनुवाद का कार्य किसी अभिकरण को सौंपने तथा एक मानक विधि शब्दकोश बनाने के लिए आयोग स्थापित करने तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में निदेश दिये गये।

प्रादेशिक भाषाएं

धारा 345: राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं :

विधान मंडल कानून बनाकर राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकेगा।

धारा 346: पत्राचार की भाषा :

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषा पत्रादि की राजभाषा होगी परन्तु दो या अधिक राज्य यदि करार कर लें तो उनके बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी हो सकती है।

धारा 347:

यदि राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग चाहे तो किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति शासकीय मान्यता दे सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

धारा 348 (1 क):

संसद द्वारा जब तक अन्य कानून न बनाया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियाँ अंगेजी भाषा में होंगी।

धारा 348 (1 ख):

अधिनियमों/अध्यादेशों/विधेयकों/आदेशों/नियमों/विनियमों/उप–विधियों आदि के अधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

धारा 348 (2)

राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं।

धारा 349:

15 वर्ष तक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में कोई कानून नहीं बनाया जायेगा।

विशेष निर्देश

धारा 350:

कोई भी व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

धारा 351:

संघ का कर्तव्य होगा कि वह :–

1. हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए
2. उसका विकास करे

ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात कर सके तथा जहां आवश्यक हो शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत व गौणतः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाएं

1. असमिया	2. उड़िया	3. उर्दू
4. कन्नड	5. कश्मीरी	6. गुजराती
7. तमिल	8. तेलगू	9. पंजाबी
10. मराठी	11. मलयालम	12. बंगाल
13. संस्कृत	14. सिन्धी	15. हिंदी
16. कोंकणी	17. नेपाली	18. मणिपुरी
19. डोगरी	20. संथाली	21. मैथिली
22. बोडो		

राजभाषा नियम 1976 कि अनुसार देश के ''क'', ''ख'' तथा ''ग'' क्षेत्रों का विवरण

''क'' क्षेत्र :

1. उत्तर प्रदेश, 2. उत्तराखंड, 3. मध्य प्रदेश, 4. छत्तीसगढ़, 5, बिहार, 6. झारखंड
7. राजस्थान, 8. हरियाणा, 9. हिमाचल प्रदेश, 10. दिल्ली, 11. अंडमान व निकोबार दीप समूह

''ख'' क्षेत्र :

1. गुजरात, 2. महाराष्ट्र, 3. पंजाब, 4. चंडीगढ 5. दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली

''ग'' क्षेत्र :

शेष राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्र।

राजभाषा अधिनियम 1963

संविधान के अनुच्छेद 343 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने 10 मई, 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया था । बाद में 1967 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किये गये। इस अधिनियम की धारा 3 (3) महत्वपूर्ण है जिसका अनुपालन हमारे सभी कार्यालयों के लिए अनिवार्य है। यह धारा नीचे प्रस्तुत की जा रही है–

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए:–

1. संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन तथा प्रेस विज्ञप्तियां
2. संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं तथा निविदा प्रारूप, बैठकों की कार्यसूची व कार्यवृत्त
3. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज–पत्र।

सामान्य ओदश की परिभाषा :

1. विभागीय इस्तेमाल के वे सभी आदेश, फैसले या हिदायतें जो स्थाई किस्म की हों,
2. व्यक्तियों के किसी एक समूह अथवा समूहों के लिए (चाहे वे सरकारी नौकरी में हों अथवा बाहरी व्यक्ति हों) अभिप्रेत या उनसे संबंधित सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, सूचनायें आदि और
3. सभी परिपत्र, चाहे वे विभागीय इस्तेमाल के लिए हों या कर्मचारियों अथवा जनता के लिए हों।